बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0सं0–07 / स्था0–01–59 / 2014, परि पटना, दिनांक–

श्री त्रिभुवन राय, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में दर्ज निगरानी थाना कांड सं0–060 / 2006 के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 522 दिनांक 11.02.2011 एवं पत्रांक 1005 दिनांक 02.03.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया।

2. विभागीय कार्यवाही में श्री कन्हैया प्रसाद, उप परिवहन आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी से दिनांक 26.11.2012 को प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राय के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित प्रत्यानुपातिक धनार्जन एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए पदीय शक्ति का दुरूपयोग संबंधी आरोप को प्रमाणित माना गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक–200 दिनांक–22.01.2013 के द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन एवं कदाचार के आरोप में श्री राय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

4. श्री राय द्वारा अपनी बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार, परिवहन विभाग, बिहार के समक्ष अपील दायर किया गया।

5. मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलवाद सं0 01 / 2013 में दिनांक 20.11.2014 को पारित आदेश द्वारा श्री राय के विरूद्ध निर्गत बर्खास्तगी आदेश ज्ञापांक–200 दिनांक–22.01.2013 को निरस्त किया गया है।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–12 के उप नियम (1) एवं (3) के तहत श्री राय की बर्खास्तगी की तिथि 22.01.2013 से सेवानिवृति की तिथि 31.01.2013 की अवधि को कार्यावधि मानते हुए नियमित किया जाता है।

7. वित्त विभाग एवं विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री राय को तत्काल 90% औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।

8. भविष्य में सक्षम न्यायालय के किसी अन्यथा आदेश के फलाफल से यह आदेश प्रभावित होगा।

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

D:\kamini\Office Order

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि–श्री त्रिभुवन राय, पूर्व प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5283 दिनांक– 02/11/2015

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन के आप्त सचिव/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/परिवहन विभाग (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारी/लेखा शाखा/स्थापना शाखा/रक्षित पंजी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0
2.11.15
राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।